

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक... 149/आवंटन

पटना, दिनांक... 25.03.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 06/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर।  
परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया।

विषय :- मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष -107-रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851.00.107.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को स्थापना व्यय के वहन हेतु रू० 6,50,000/- (छः लाख पचास हजार रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 6,50,000/- (छः लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष -107-रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851.00.107.0001 के अन्तर्गत विकलित होगा। विभिन्न कार्यालयों को राशि का मदवार वितरण निम्नवत् होगा :-

क्र.	कार्यालय	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मदवार आवंटित राशि (रू०)				योग- वेतनादि
			वेतन 0001.01.01	मकान किराया भत्ता 0001.01.04	परिवहन भत्ता 0001.01.05	चिकित्सा भत्ता 0001.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर	प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर	504000	39000	45000	12000	600000
2	मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया	परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया।	46000	3000	0	1000	50000
3	योग		550000	42000	45000	13000	650000


- 3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने हेतु दिया जा रहा है।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-  
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।  
(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

रू० पृ० उ०

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 30 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।


विश्वासभाजन

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक... 149/आ/92-7

पटना, दिनांक... 25.08.19


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/प0 चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक... 149/आ/92-7

पटना, दिनांक... 25.08.19

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारियों के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।